

**राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ. प्र.) की सितम्बर 2020 तिमाही की
बैठक दिनांक 03.12.2020 का कार्यवृत्त**

राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ.प्र.) की सितम्बर 2020 त्रैमास की समीक्षा बैठक दिनांक 03.12.2020 को "महाराजा सयाजीराव गायकवाड सभागार", बड़ौदा हाउस, गोमती नगर, लखनऊ में श्री सुरेश कुमार खन्ना, माननीय वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार की गरिमामयी उपस्थिति में आयोजित की गयी। बैठक की अध्यक्षता श्री विक्रमादित्य सिंह खीची, कार्यकारी निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा, मुम्बई द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से की गयी। इस बैठक में श्री अमित अग्रवाल, अपर सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली एवं प्रदेश सरकार के वरिष्ठ अधिकारी श्री नवनीत सहगल, आई.ए.एस., अपर मुख्य सचिव, एम.एस.एम.ई., उ0प्र0 शासन; श्री देवेश चतुर्वेदी, आई.ए.एस., अपर मुख्य सचिव, कृषि, उ0प्र0 शासन; श्री मनोज कुमार सिंह, आई.ए.एस., अपर मुख्य सचिव, ग्राम्य विकास, उ0प्र0 शासन; श्री एम. वी. एस. रामी रेड्डी, आई.ए.एस., अपर मुख्य सचिव, सहकारिता, उ0प्र0 शासन, श्री शिव सिंह यादव, महानिदेशक, संस्थागत वित्त महानिदेशालय, उ0प्र0; श्री आर० लक्ष्मीकांत राव, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ; श्री शंकर ए० पाण्डेय, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड; प्रदेश के अग्रणी बैंको के वरिष्ठ कार्यपालको की उपस्थिति रही। कोविड -19 महामारी के दृष्टिगत उक्त बैठक के दौरान "सामाजिक दूरी" का अनुपालन सुनिश्चित करते हुए सीमित सदस्यों द्वारा भौतिक रूप से प्रतिभाग किया गया तथा एस.एल.बी.सी के अन्य सदस्यों द्वारा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से प्रतिभाग किया गया। बैठक में भाग लेने वाले सहभागियों की सूची संलग्न है।

**राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति की दिनांक 21.09.2020 को आयोजित बैठक के कार्यवृत्त की पुष्टि
Confirmation of Minutes of Last SLBC Meeting dated 21.09.2020**

जून 2020 त्रैमासांत की बैठक दिनांक 21.09.2020 के कार्यबिन्दु एवं कार्यवृत्त सभी सदस्यों को एस.एल.बी.सी. के पत्रांक ल.अं./46/जून 2020/708 दिनांक 09.10.2020 के माध्यम से प्रेषित किये गये थे, जिसकी पुष्टि समिति द्वारा की गयी।

अपने स्वागत संबोधन में श्री ब्रजेश कुमार सिंह, महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा एवं संयोजक, राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति(उ0 प्र0) ने सभी सदस्यों का आभार प्रकट करते हुए प्रदेश में गत तिमाही के दौरान घटित महत्वपूर्ण बैंकिंग गतिविधियों के साथ सभा को प्रदेश की स्थिति से निम्नवत अवगत कराया :

- भारत सरकार द्वारा कोविड -19 महामारी से प्रभावित एम.एस.एम.ई./ व्यावसायिक ईकाईयों को राहत प्रदान करने के उद्देश्य से घोषित "आपातकालीन क्रेडिट गारंटी योजना" के अंतर्गत प्राप्त संशोधित दिशानिर्देशों के अनुसार प्रदेश में कुल 4.37 लाख ईकाईयों को रू 10861 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया जा चुका है तथा चालू वित्तीय वर्ष में भी लगभग 6 लाख एम.एस.एम.ई. ईकाईयों को रू 19 हजार करोड़ का ऋण भी स्वीकृत किया गया है।
- माननीय मुख्यमंत्री, उ.प्र. की गरिमामयी उपस्थिति में दिनांक 03.12.2020 को चौथे ई- लोन मेला का आयोजन किया गया जिसमें कुल 3.55 लाख एम.एस.एम.ई. ईकाईयों को रू 10390 करोड़ का ऋण स्वीकृत किया गया।
- PM SVANidhi योजनांतर्गत प्रदेश में कुल 4 लाख लाभार्थियों का ऋण स्वीकृत करते हुए रू. 3.27 लाख खातों में ऋण वितरण की कार्यवाही पूर्ण की जा चुकी है तथा यह प्रक्रिया निरंतर जारी है। हर्ष का विषय है कि हमारा प्रदेश योजनांतर्गत आवेदन पत्र प्रायोजित, स्वीकृत एवं वितरण के मामले में पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान पर है जिसकी सराहना विभिन्न स्तरों पर की गई है।
- प्रदेश में दिनांक 27.10.2020 को माननीय प्रधानमंत्री, भारत सरकार एवं माननीय मुख्यमंत्री, उ.प्र. की गरिमामयी उपस्थिति में "Virtual संवाद" कार्यक्रम का आयोजन किया गया। अपने संबोधन में उन्होंने प्रदेश द्वारा PMSVANidhi योजनांतर्गत सर्वाधिक ऋण स्वीकृत व वितरित किये जाने हेतु समस्त बैंकर्स के साथ साथ प्रदेश सरकार के अन्य सम्बन्धित विभागों के उत्कृष्ट कार्य की सराहना की।



- सितम्बर 2020 को समाप्त तिमाही में प्रदेश का ऋण जमा अनुपात 51% रहा है जो मार्च 2020 के स्तर के लगभग बराबर है। उन्होंने बताया कि प्रदेश में कार्यरत समस्त बैंको द्वारा ऋण जमा अनुपात बढ़ाये जाने हेतु समग्र रूप से कार्ययोजना बनाते हुए प्रयास किये जा रहे हैं।
- प्रदेश सरकार के सहयोग व मार्गदर्शन तथा समस्त बैंको के सघन प्रयासों से कोविड 19 महामारी के कारण उत्पन्न हुई विषम परिस्थितियों के बावजूद भी चालू वित्तीय वर्ष के सितम्बर 2020 को समाप्त तिमाही तक वार्षिक ऋण योजनांतर्गत आवंटित लक्ष्य रू 246751.02 करोड़ के सापेक्ष रू 84911.14 करोड़ (34.41%) का ऋण वितरण किया जा चुका है। हमारे प्रदेश में MSME Sector के अन्तर्गत कुल रू 36972.10 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है। साथ ही कृषि क्षेत्र के अंतर्गत कुल रू 45182.67 करोड़ का ऋण वितरण किया गया है।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजना के अंतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में सितम्बर 2020 को समाप्त तिमाही तक 9.32 लाख खातों में रू. 5814.01 करोड़ की धनराशि स्वीकृत की गयी है।

अपने स्वागत सम्बोधन के अंत में उन्होंने माननीय वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार का आभार व्यक्त किया तथा प्रदेश सरकार, भारतीय रिज़र्व बैंक, शासन के विभिन्न विभाग, नाबार्ड, बैंकों व अन्य संस्थाओं द्वारा कोविड-19 की कठिन परिस्थितियों में प्रदान किये जा रहे सहयोग व बैठक में सहभागिता सुनिश्चित करने हेतु धन्यवाद ज्ञापित किया। साथ ही उन्होंने समस्त बैंकों से सभी योजनाओं के अंतर्गत आवंटित लक्ष्यों की शत प्रतिशत पूर्ति सुनिश्चित करने हेतु अपना पूर्ण सहयोग प्रदान करने हेतु अनुरोध किया।

अपने अध्यक्षीय सम्बोधन में श्री विक्रमादित्य सिंह खींची, कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने सभी सदस्यों का अभिवादन करते हुये वैश्विक, देश एवं प्रदेश की आर्थिक गतिविधियों तथा विभिन्न मानकों में प्रदेश में दर्ज प्रगति से समिति को अवगत कराया। उन्होंने राज्य की अर्थव्यवस्था को रफ्तार देने तथा नई ऊंचाइयों तक पहुँचाने में बैंकों द्वारा किये जा रहे प्रयासों की सराहना करते हुए निम्न बिंदुओं पर प्रकाश डाला :

- प्रदेश का ऋण जमानुपात सितम्बर 2020 को समाप्त तिमाही में 50.74% के स्तर पर है। चालू वित्तीय वर्ष के दौरान, सभी बैंकों की जमा राशि जून 2020 के रू 11.72 लाख करोड़ के स्तर से बढ़कर सितम्बर 2020 में रू 11.94 लाख करोड़ को पार कर गयी है जो लगभग रू 22812 करोड़ (1.94 %) की वृद्धि दर्शाता है। जून 2020 के अग्रिम रू 5.95 लाख करोड़ में भी रू 10,878 करोड़ से अधिक की वृद्धि दर्ज करते हुए सितम्बर 2020 में कुल अग्रिम रू 6.06 लाख करोड़ रुपये के स्तर तक पहुँच गया है।
- प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र (Priority Sector) के अंतर्गत अग्रिम लगभग रू 3.59 लाख करोड़, जो कि कुल अग्रिम का 59.34% है जो प्राथमिकता क्षेत्र अग्रिमों हेतु भारतीय रिज़र्व बैंक के 40% के मानक से अधिक है। सितम्बर 2020 तक MSME के अंतर्गत अग्रिम कुल रू 1.31 लाख करोड़ रहा, जो कि कुल अग्रिम का 21.76% है।
- देश का सबसे अधिक आबादी वाला राज्य होने के नाते, प्रदेश में वित्तीय समावेशन की पर्याप्त सम्भावनाएँ हैं। प्रदेश में सभी बैंकों द्वारा PMJDY Scheme में 6.90 करोड़ खाते खोले गये हैं, जो देश के कुल PMJDY Accounts का लगभग 16% है। इसके साथ ही हमारा प्रदेश पूरे भारतवर्ष में प्रथम स्थान पर है। PMJDY खातों में कुल जमा राशि सितम्बर 2020 तक रू 23601 करोड़ रही है, जो कि सितम्बर 2019 के कुल जमा रू 19275 करोड़ की तुलना में लगभग रू 4326 करोड़ (22%) की वृद्धि दर्शाता है।
- अटल पेंशन योजनांतर्गत वित्तीय वर्ष 2020-21 के दौरान राज्य में कुल 4.51 लाख नये नामांकन करते हुए प्रदेश में ग्राहकों की कुल संख्या 36.60 लाख के स्तर पर पहुँच गई है। हर्ष का विषय है कि PFRDA द्वारा वित्तीय वर्ष 2020-21 हेतु योजनांतर्गत आयोजित "AWARD OF EXCELLENCE" अभियान में एस.एल.बी.सी., उ0प्र0 द्वारा सर्वाधिक नामांकन किये गये।



इसी के साथ दिनांक 01.09.2020 से 31.10.2020 तक चलाये जा रहे APY – CITIZEN'S CHOICE 2020-2021 अभियान के अंतर्गत हमारे प्रदेश को आवांटित लक्ष्य 2.49 लाख नामांकन के सापेक्ष 2.66 लाख की प्रगति हासिल करते हुए प्रदेश को "Award of Par Excellence" हेतु चयनित किया गया है। इस अभियान में हमारे प्रदेश के -48- अग्रणी जनपदों को बेहतर प्रदर्शन के लिए "Award of Par Excellence" हेतु चयनित किया गया।

- प्रदेश में प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजना और प्रधानमंत्री जीवन ज्योति योजना के अंतर्गत क्रमशः 238 लाख और 63 लाख नामांकन किये जा चुके हैं। इन योजनाओं के अंतर्गत हमारा प्रदेश पूरे भारतवर्ष में क्रमशः प्रथम एवं द्वितीय स्थान पर है।
- वित्तीय सुविधाओं को Aspirational Districts में त्वरित गति से पहुँचाने के उद्देश्य से DFS, MoF, GoI द्वारा देश के -40- Aspirational Districts में "Targetted Financial Inclusion Intervention Programme (TFIIP)" की शुरूआत की गयी है। इस कार्यक्रम के अंतर्गत हमारे प्रदेश के -5- जनपद यथा चन्दौली, सोनभद्र, बहराइच, श्रावस्ती तथा बलरामपुर शामिल है। इस कार्यक्रम की समीक्षा हेतु राष्ट्र व जनपद स्तर पर संचालन समिति का गठन किया गया है।
- कोविड -19 महामारी से प्रभावित विभिन्न गतिविधियों को दुबारा मुख्यधारा में लाने के उद्देश्य से केन्द्र तथा प्रदेश सरकार द्वारा विभिन्न योजनाएँ चलायी जा रही है जिनमे हमारे उत्तर प्रदेश की महती भूमिका रही है। "आत्मनिर्भर भारत पैकेज" के अंतर्गत घोषित ECLGS scheme में प्रदेश में लगभग 4.37 लाख ईकाईयों को ₹ 10851 करोड़ से अधिक का ऋण स्वीकृत किया जा चुका है।
- भारत सरकार द्वारा "Less Cash" अर्थव्यवस्था की ओर बढ़ने के लिए डिजिटलीकरण को मुख्य रूप से बढ़ावा दिया जा रहा है। इस राष्ट्रीय उद्देश्य के अनुसरण में हमारा प्रदेश बैंकिंग चैनल के माध्यम से विभिन्न ई- भुगतान विधियों को अपनाते हुए Digital लेनदेन को बढ़ाने हेतु प्रतिबद्ध है। प्रदेश में सितम्बर 2020 में कुल Digital Transactions लगभग 176 करोड़ के स्तर पर पहुँच गया है जो सितम्बर 2019 के कुल 78 करोड़ Transactions की तुलना में 98 करोड़ अधिक है जो 125% की उत्कृष्ट बढ़ोतरी को दर्शाता है।
- प्रधानमंत्री मुद्रा योजनांतर्गत प्रदेश ने पिछले तीन वर्षों में लगातार आवांटित लक्ष्यों को बड़े अंतर से प्राप्त करते हुए बेहतरीन प्रगति दर्ज की है। सितम्बर 2020 को समाप्त तिमाही तक प्रधानमंत्री मुद्रा योजनांतर्गत चालू वित्तीय वर्ष में 9.32 लाख लाभार्थियों को ₹ 6897 करोड़ का ऋण वितरण किया जा चुका है।
- NPA में लगातार वृद्धि बैंकर्स के लिए एक चिंता का विषय है क्योंकि यह बैंक के शुद्ध लाभ पर प्रतिकूल प्रभाव डालने के साथ-साथ बैंक की Liquidity को भी प्रभावित करता है। हालाँकि, प्रदेश में NPA स्तर सितम्बर 2019 के ₹ 53746 करोड़ से घटकर सितम्बर 2020 में ₹ 51913 करोड़ हो गया जो कि 3.4% की गिरावट दर्शाता है। इसके साथ ही SARFAESI Act के अंतर्गत pending खातों की संख्या मे भी गिरावट हुई है। गत वर्ष सितम्बर 2019 में pending खातों की संख्या लगभग 5194 (₹ 2852 करोड़) थी जो कि सितम्बर 2020 में घटकर लगभग 4805 (₹ 2434 करोड़) हो गई है। इसके लिए उन्होंने प्रदेश सरकार को उनके द्वारा प्रदान किये गये सहयोग हेतु धन्यवाद दिया तथा भविष्य में भी इसी प्रकार बैंको को निरंतर सहयोग प्रदान करने हेतु अनुरोध किया।
- प्रदेश में कुल 11.05 लाख RCs (₹ 9981 करोड़) तहसील स्तर पर वसूली हेतु लम्बित है जिसमे से कुल 6.56 लाख खाते (₹ 6241 करोड़) एक वर्ष से अधिक अवधि से लम्बित है जो सभी बैंकर्स के लिए एक चिंता का विषय है। RC खातों की बेहतर समीक्षा हेतु Board of Revenue, GoUP द्वारा एक पोर्टल का निर्माण किया जा रहा है। उन्होंने सम्बन्धित विभाग से उक्त पोर्टल का निर्माण कार्य शीघ्र पूर्ण कराने हेतु अनुरोध किया ताकि लम्बित वसूली प्रमाण पत्रों को और प्रभावी रूप से निस्तारित किया जा सके।

अंत में उन्होंने बैठक में पधारे श्री सुरेश खन्ना जी, Hon'ble Finance Minister, GoUP और सभी गणमान्य अतिथियों की सक्रिय भागीदारी हेतु हृदय से आभार व्यक्त करते हुए सुरक्षित व स्वस्थ रहने का संदेश दिया तथा समस्त अतिथियों व सहभागियों से उन सभी बैंकर्स के लिए दो मिनट का मौन धारण कर श्रद्धांजली देने हेतु अनुरोध किया जो कोविड-19 महामारी के दौरान अपना कर्तव्यनिर्वाह करते हुए बलिदान हो गये। इसे बैठक के अंत में सम्पन्न किया गया।



श्री अमित अग्रवाल, आई.ए.एस., अपर सचिव, वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार ने अपने सम्बोधन में निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला:-

- 1) भारत सरकार द्वारा चलाये जा रहे किसान क्रेडिट कार्ड अभियान में बैंको द्वारा दिये गये योगदान की प्रशंसा की। इसी के साथ कृषि मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा माह अगस्त 2020 से मत्स्य पालन व डेरी हेतु किसान क्रेडिट कार्ड प्रदान करने हेतु अभियान चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत डेरी में 21000 के.सी.सी. स्वीकृत हुए हैं व 5000 लम्बित हैं तथा मत्स्य क्षेत्र में 800 के.सी.सी. स्वीकृत व लम्बित हैं। प्रदेश में डेरी गतिविधियों हेतु के.सी.सी. द्वारा आच्छादित करने हेतु अभी भी बहुत सम्भावनाएं विद्यमान हैं।
- 2) आत्मनिर्भर अभियान के तहत रु. 1 लाख करोड़ की कृषि अवसंरचना निधि (Agriculture Infrastructure Fund) आवंटित की गयी थी। इस योजना के अंतर्गत अभी तक 27 आवेदन प्राप्त हुए हैं जिसमें से 24 आवेदन निरस्त किये गये हैं। अस्वीकृत मामलों का विश्लेषण किया जाना चाहिए ताकि भविष्य में बेहतर परियोजनाओं व आवेदनों को प्रायोजित किया जा सके।
- 3) पी.एम. स्वनिधि योजनान्तर्गत राज्य द्वारा सराहनीय कार्य किया गया है तथा बैंकों द्वारा इस योजना के अंतर्गत अधिकाधिक लाभार्थियों को शामिल करने हेतु प्रयास जारी रखने चाहिए।
- 4) वित्तीय सेवाएँ विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा मार्च 2021 तक प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजनांतर्गत 10% तथा प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनांतर्गत 25% कवरेज हासिल करने का लक्ष्य रखा गया है। उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री जन धन योजनान्तर्गत खोले गये सक्रिय खातों में प्रधानमंत्री जीवन ज्योति बीमा योजनांतर्गत 9.94% व प्रधानमंत्री सुरक्षा बीमा योजनांतर्गत 37.62% खातों का कवरेज किया गया है। इन योजनाओं में अधिक कवरेज करने हेतु अभी भी सम्भावनाएं व्याप्त हैं, अतः बैंकों द्वारा इस दिशा में प्रयास करने की आवश्यकता है **(कार्यवाही: समस्त बैंक)**

श्री शिव सिंह यादव, महानिदेशक, संस्थागत वित्त, बीमा एवं वाह्य सहायित परियोजना महानिदेशालय, उ0प्र0, लखनऊ ने माननीय वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार तथा अन्य गणमान्य अतिथियों का अभिवादन करते हुए अपने सम्बोधन में निम्न बिन्दुओं को सदन के समक्ष प्रस्तुत किया:-

- 1) वार्षिक ऋण योजना 2020-21 के अंतर्गत सितम्बर 2020 तिमाही के अंत तक तीनों ग्रामीण बैंकों की उपलब्धि संतोषजनक नहीं रही हैं। इस हेतु सम्बन्धित बैंकों द्वारा सघन प्रयासों की आवश्यकता है।
- 2) उन्होंने समस्त को अवगत कराया कि दिनांक 03 दिसम्बर को "दिव्यांग दिवस" के रूप में मनाया जाता है। NHFDC (National Handicapped Castes Finance & Development Corporation) द्वारा ग्रामीण बैंकों के माध्यम से दिव्यांग जनों हेतु 4% इंटरैस्ट सबवेंशन की योजना चलाई जा रही है। उन्होंने समस्त ग्रामीण बैंकों से योजनांतर्गत अधिकाधिक दिव्यांग जनों को ऋण प्रदान कर लाभांशित करने हेतु निर्देश दिये। **(कार्यवाही: ग्रामीण बैंक)**
- 3) केन्द्र व प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित योजनाओं में बैंकों द्वारा अधिक ध्यान देने की आवश्यकता है।
- 4) प्रदेश के 15 जनपदों का ऋण जमानुपात 40% से कम है जो चिंता का विषय है। इन जनपदों में कार्यरत बैंकों द्वारा अभियान चलाकर तथा लोन मेला आदि के माध्यम से ऋण प्रवाह हेतु उचित कदम उठाए जाने की आवश्यकता है। **(कार्यवाही: सम्बन्धित बैंक)**
- 5) उन्होंने सभा जनों को अवगत कराया कि आदरणीय मुख्य सचिव महोदय, उ0प्र0 द्वारा समस्त जिलाधिकारियों को उनके जनपद के 10 बड़े बकायदारों की सूची प्रदान करने तथा उन मामलों में प्रभावी कार्यवाही हेतु आवश्यक दिशा-निर्देश निर्गत किये जा चुके हैं। साथ ही बोर्ड ऑफ रेवेन्यू के साथ समन्वय स्थापित कर आर.सी. के Reconciliation हेतु पोर्टल तैयार करने की प्रक्रिया विकासाधीन है।



श्री देवेश चतुर्वेदी, आई.ए.एस., अपर मुख्य सचिव, कृषि, उत्तर प्रदेश शासन ने अपने सम्बोधन में सभा के समक्ष निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला:-

भारत सरकार द्वारा पी.एम. किसान में पंजीकृत समस्त कृषकों को किसान क्रेडिट कार्ड द्वारा संतृप्त कराने हेतु चलाए जा रहे अभियान के अंतर्गत प्रदेश के 2.32 करोड़ पी.एम. किसान के लाभार्थियों के सापेक्ष अभी तक 1.53 करोड़ के.सी.सी. का वितरण किया जा चुका है जो 66% का कवरेज दिखाता है जिनमें राज्य के 5 जनपदों में 100%, 19 जनपदों में 90-100%, 12 जनपदों में 75-90%, 21 जनपदों में 75-50%, 16 जनपदों में 25-50% तथा 2 जनपदों में 25% से भी कम संतृप्तिकरण हुआ है। 50% से कम कवरेज वाले अधिकतम जनपद पूर्वांचल क्षेत्र के हैं।

कृषि विभाग, उ०प्र० द्वारा किसानों को के.सी.सी. से संतृप्त करने हेतु एक ऑनलाइन पोर्टल विकसित किया है जिसका मोबाइल एप भी मौजूद है। इस पोर्टल के माध्यम से किसानों द्वारा आसान प्रक्रिया से के.सी.सी. हेतु आवेदन करना सम्भव हो पाएगा तथा उनके आवेदन तथा भूमि रिकॉर्ड को विभिन्न स्तरों यथा तहसील, राजस्व विभाग आदि पर सत्यापित करते हुए बैंकों को अग्रेसरित कर दिया जाएगा ताकि बैंकों द्वारा सुलभतापूर्वक निर्धारित समयावधि में अग्रिम प्रक्रिया पूर्ण की जा सके। बैंकों, तहसील, जिलाधिकारी, एस.एल.बी.सी. आदि विभिन्न स्तरों हेतु पोर्टल का यूजरनेम तथा पासवर्ड भी उपलब्ध कराया जाएगा। कृषकों हेतु इस पोर्टल का शुभारम्भ शीघ्र किया जाना प्रस्तावित है।

(कार्यवाही: कृषि विभाग, उ०प्र०)

बैंकों द्वारा वर्तमान में भी कई ऐसे कृषि ऋण प्रदान किये जा रहे हैं जिनमें एग्रीकल्चल इंफ्रास्ट्रक्चर फण्ड का ब्याज उपादान लागू होता है। उन्होंने बैंकों से अनुरोध किया कि ऐसे समस्त पात्र कृषकों को जो इस योजना का लाभ प्राप्त कर सकते हैं, को इस योजना का अधिक से अधिक लाभ में प्रदान करने हेतु आवश्यक कार्यवाही करने का कष्ट करें।

श्री नवनीत सेहगल, आई.ए.एस., अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त, उत्तर प्रदेश शासन ने अपने सम्बोधन में राज्य सरकार द्वारा राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ०प्र०) की बैठक को सर्वोच्च प्राथमिकता दिये जाने हेतु बधाई दी। तत्पश्चात उन्होंने अपने सम्बोधन में सभा के समक्ष निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला:-

- सर्वप्रथम उन्होंने समस्त बैंकर्स को कोविड-19 महामारी के दौरान विषम परिस्थितियों में अपना भरपूर सहयोग प्रदान करने हेतु उनकी सराहना की व उन्हें धन्यवाद ज्ञापित किया।
- उन्होंने सभा को अवगत कराया कि प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित अधिकतम योजनाओं को ऑनलाइन प्लैटफॉर्म पर लाया जा चुका है तथा समस्त योजनाओं में निर्धारित लक्ष्यों के सापेक्ष अधिक संख्या में आवेदन प्राप्त हुए हैं जो बैंकों को अग्रिम कार्यवाही हेतु प्रेषित किये गये हैं। उन्होंने विभिन्न योजनांतर्गत बैंकों के स्तर पर लम्बित आवेदन पत्रों तथा वितरण हेतु लम्बित स्वीकृत आवेदन पत्रों पर चिंता व्यक्त की तथा एस.एल.बी.सी. व समस्त बैंकों को यथाशीघ्र लम्बित आवेदन पत्रों के निस्तारण तथा स्वीकृत आवेदन पत्रों के शत प्रतिशत वितरण सुनिश्चित करने हेतु निर्देशित किया।

(कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ०प्र०), समस्त बैंक)

- उन्होंने बताया कि एम.एस.एम.ई. विभाग द्वारा चालू वित्तीय वर्ष में राज्य के 20 लाख एम.एस.एम.ई. इकाइयों व व्यक्तिगत लाभार्थियों को ऋण प्रदान कर लाभांशित करने का लक्ष्य निर्धारित किया गया था जिसके सापेक्ष अभी तक लगभग 10 लाख एम.एस.एम.ई. इकाइयों व व्यक्तिगत लाभार्थियों को लाभांशित किया जा चुका है। इसी के साथ उन्होंने सभी बैंकों से निर्धारित लक्ष्य की प्राप्ति हेतु अधिकाधिक लाभार्थियों को ऋण प्रदान करने हेतु अनुरोध किया।

(कार्यवाही: राज्य स्तरीय बैंकर्स समिति (उ०प्र०), समस्त बैंक)



श्री आर. लक्ष्मीकांत राव, क्षेत्रीय निदेशक, भारतीय रिज़र्व बैंक, लखनऊ ने सभा में उपस्थित समस्त अतिथियों का अभिवादन करते हुए निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला:

- एसएलबीसी की उप-समितियों का उद्देश्य राज्य के विकास के लिए विशेष मुद्दों पर ध्यान केंद्रित करना है और इन पहलुओं में राज्य के प्रदर्शन को बेहतर बनाने के तरीके सुझाना है ताकि एक समग्र विकास सुनिश्चित हो सके। इन बैठकों का आयोजन सम्पूर्ण त्रैमास के दौरान आवश्यकतानुसार किया जाना चाहिए ताकि एस.एल.बी.सी. की बैठकों इन उप-समितियों के निष्कर्ष व नीतिगत मुद्दों पर चर्चा सम्भव हो सके। हालांकि, यह देखा गया है कि इन उप-समितियों की बैठकों का आयोजन एस.एल.बी.सी. की समीक्षा बैठक के कुछ दिन पूर्व ही संक्षिप्त नोटिस पर सूचित करते हुए किया जाता है जो बैठक के अभीष्ट उद्देश्य को पूरा नहीं करता है। साथ ही सूचना की असंगति / पूर्ण डेटा की अनुपलब्धता आदि मुद्दे भी बैठकों में सार्थक चर्चा को बाधित करते हैं तथा कोई उपयोगी परिणाम नहीं मिल पाता है।
(कार्यवाही: समस्त उप-समितियों के संयोजक बैंक)
- डेटा प्रवाह के लिए एक मानकीकृत प्रणाली (Standardized Data Flow System) विकसित करने हेतु बैंक ऑफ बड़ौदा के संयोजन में उप-समिति गठित है। अद्यतन स्थिति के अनुसार 20 बैंकों ने अपनी माइग्रेशन प्रक्रिया पूरी कर ली है, जबकि 15 बैंकों को इस प्रक्रिया को पूरा करना बाकी है, जिसमें से 9 बैंकों ने अपने माइग्रेशन में कुछ मुद्दों की सूचना दी है और 5 बैंकों (पंजाब एंड सिंध बैंक, बंधन बैंक, नैनीताल बैंक, ICICI बैंक, जन स्माल फाइनेंस बैंक) ने SLBC (UP) को अपनी स्थिति की सूचना नहीं दी है। सभी बैंकों द्वारा यह प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण किये जाने की अपेक्षा की गयी।
(कार्यवाही: सम्बन्धित बैंक)
- भारतीय रिज़र्व बैंक की वित्तीय समावेशन हेतु राष्ट्रीय रणनीति 2019-24 (NSFI) के रणनीतिक उद्देश्यों में “आजीविका और कौशल विकास तक पहुंच” एक अहम स्तंभ है और उक्त उद्देश्य को प्राप्त करने हेतु प्रस्तावित कार्य योजना के अनुसार RSETIs, NRLM, NULM, PMKVY के माध्यम से चल रहे कौशल विकास और आजीविका सृजन कार्यक्रमों से संबंधित सभी प्रासंगिक विवरण खाता खोलने के समय नए खाताधारकों को उपलब्ध कराए जाए तथा बेरोजगार युवाओं, और कौशल विकास व आजीविका कार्यक्रम का हिस्सा बनने के इच्छुक महिलाओं की सूची सहित खाताधारकों का विवरण संबंधित कौशल विकास केंद्रों /आजीविका मिशन के साथ साझा किया जा सकता है। इस मुद्दे को भारतीय स्टेट बैंक के संयोजन में वित्तीय समावेशन हेतु गठित एस.एल.बी.सी. की उप-समिति में एक नियमित एजेण्डा के रूप में शामिल किया जाए।
(कार्यवाही: भारतीय स्टेट बैंक)
- एक वर्ष में पूर्ण रूप से डिजिटल पेमेंट प्रणाली लागू करने हेतु चयनित प्रदेश के 2 जनपदों यथा फिरोज़ाबाद व सिद्धार्थनगर (अग्रणी बैंक- भारतीय स्टेट बैंक) में भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा प्रगति की समीक्षा की गयी है। अद्यतन सूचना के अनुसार सिद्धार्थनगर में 65.07% (बचत खाते) व 79.87% (चालू खाते) तथा फिरोज़ाबाद में 71% (बचत खाते) व 60% (चालू खाते) उपलब्धि लक्ष्यों के सापेक्ष हासिल की गयी है। चूंकि लक्ष्य प्राप्ति हेतु मार्च 2021 तक की अवधि निर्धारित की गयी है तथा भारतीय रिज़र्व बैंक द्वारा बैंकों को चरणबद्ध लक्ष्य प्रदान किये जा चुके हैं अतः कार्यक्रम के अंतर्गत समस्त सम्बन्धित बैंकों द्वारा सघन प्रयास की आवश्यकता है।
(कार्यवाही: केनरा बैंक, भारतीय स्टेट बैंक, एस.एल.बी.सी., तथा चयनित जनपदों में कार्यरत समस्त बैंक)
- वार्षिक ऋण योजनांतर्गत सितम्बर 2020 तिमाही तक सार्वजनिक बैंकों तथा क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों की उपलब्धि क्रमशः मात्र 34.20% तथा 17.50% रही है जो संतोषजनक नहीं है। वहीं निजी बैंकों की उपलब्धि 65.72% रही है। यद्यपि एम.एस.एम.ई. के क्षेत्र में अपेक्षित उपलब्धि (59.86%) हासिल हुई है, वरन कृषि में 26.55% व सेवायें क्षेत्र में 18.64% की प्रगति रही है जो गत वर्ष की तुलना में अपेक्षाकृत नहीं है। समस्त बैंकों द्वारा ऋण प्रवाह हेतु आवश्यक रणनीति व कदम उठाए जाने चाहिए।
(कार्यवाही: समस्त बैंक)
- उन्होंने प्रदेश में आर.सी. मामलों की बढ़ती संख्या पर चिंता व्यक्त की तथा साथ ही वसूली हेतु प्रदेश शासन द्वारा प्रदान किये गये सहयोग हेतु धन्यवाद भी किया। उन्होंने एस.एल.बी.सी. से अधिकतम आर.सी. के मामलों वाले जनपदों में हो रही प्रगति की सूचना प्राप्त करने हेतु भी सुझाव दिया।
- उन्होंने प्रदेश शासन से भूलेख पोर्टल पर बैंकों को भूमि बन्धक करने की सुविधा प्रदान करने की प्रक्रिया शीघ्र पूर्ण कराने हेतु अनुरोध किया।
(कार्यवाही: संस्थागत वित्त महानिदेशालय, 30प्र0)
- पीलीभीत, प्रयागराज (अग्रणी बैंक - बैंक ऑफ बड़ौदा) और फर्रुखाबाद (अग्रणी बैंक - बैंक ऑफ इण्डिया) में RSETI हेतु भूमि आवंटन अभी तक लम्बित है। यूपी एस. आर. एल. एम. से अनुरोध है कि वे भूमि आवंटन की प्रक्रिया पूर्ण कराने हेतु प्रदेश शासन से समंवय स्थापित कर उचित कार्यवाही हेतु आवश्यक कदम उठाएं।
(कार्यवाही: यू.पी. एस.आर.एल.एम.)



श्री शंकर ए. पाण्डे, मुख्य महाप्रबन्धक, नाबार्ड, लखनऊ ने सभा में उपस्थित समस्त अतिथियों का अभिवादन करते हुए निम्न बिन्दुओं पर प्रकाश डाला:

- सितंबर 2020 को समाप्त तिमाही के लिए कुल प्राथमिकता प्राप्त क्षेत्र, ग्राउंड लेवल क्रेडिट (GLC) प्रवाह पिछले वित्त वर्ष की इसी तिमाही के 40% की तुलना में घटकर 34% हो गया है जिसका प्रमुख कारण कोविड-19 महामारी रही है। उन्होंने वार्षिक ऋण योजनांतर्गत विभिन्न क्षेत्रों में निर्धारित लक्ष्यों की पूर्ति हेतु सभी हितधारकों द्वारा समग्र रूप से प्रयास करने हेतु अनुरोध किया। भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री किसान सम्मान योजना के लाभार्थियों को किसान क्रेडिट कार्ड की सुविधा से संतृप्त करने के उद्देश्य से एक अभियान चलाया जा रहा है जिसके अंतर्गत पशुपालन और मत्स्य पालन से सम्बद्ध कृषकों को भी केसीसी की सुविधा प्रदान किये जाने पर विशेष बल दिया जा रहा है।
- कृषि अवसंरचना कोष (AIF)- 2020-21 के लिए प्रदेश हेतु रु. 283 करोड़ का लक्ष्य रखा गया है। राज्य के बुनियादी ढांचे को बनाने के लिए बैंक इस फंड का लाभ उठा सकते हैं। नाबार्ड ने 244 प्राथमिक कृषि सहकारी समितियों को सैद्धांतिक रूप से मंजूरी दी है, जिसकी स्वीकृत राशि रु 4.4 करोड़ है।
- नाबार्ड ने डिजिटल वित्तपोषण को बढ़ाने के लिए वित्तीय समावेशन कार्यक्रम के हिस्से के रूप में 14.01 करोड़ रुपये मंजूर किए हैं। नाबार्ड ने मोबाइल बैंक, माइक्रो-एटीएम, पीओएस मशीन, वित्तीय साक्षरता कार्यक्रम (एफएलपी), नुककड़ नाटक, बीसी / बीएफ की क्षमता निर्माण को बैंकों को भी मंजूरी दी है।
- प्रदेश में स्वयं सहायता समूह के क्षेत्र में कार्य करने की भरपूर सम्भावनाएं हैं। एक अनुमान के मुताबिक अभी भी प्रदेश में 7 लाख नये स्वयं सहायता समूहों का गठन किया जा सकता है। एसएचजी को दिए गए ऋण के सापेक्ष आंध्र प्रदेश में बैंकों द्वारा सर्वाधिक लगभग 2000 करोड़ रुपये के पुनर्वित्त का लाभ उठाया जा चुका है। वहीं उत्तर प्रदेश की प्रगति अपेक्षानुरूप नहीं रही है। इसका प्रमुख कारण प्रदेश में स्वयं सहायता समूहों का गैर निस्पादक आस्तियों में परिवर्तित होना पाया गया है। उन्होंने बैंकों को एसएचजी के कामकाज की बेहतर निगरानी के लिए नाबार्ड के ई-शक्ति पोर्टल का उपयोग करने की सलाह देते हुए इस क्षेत्र में और अधिक प्रयासों की आवश्यकता बतायी।
- नाबार्ड ने 382 एफपीओ को बढ़ावा दिया है। केन्द्र सरकार द्वारा आगामी 5 वर्षों में 10,000 नये एफपीओ के गठन का लक्ष्य निर्धारित किया गया है। इसके अंतर्गत देशके समस्त ब्लॉक में एफ.पी.ओ. का गठन किया जाना प्रस्तावित है। नाबार्ड द्वारा चालू वित्त वर्ष के दौरान प्रदेश में कुल 76 नए एफपीओ के गठन का लक्ष्य रखा गया है। प्रदेश सरकार ने एफपीओ को दिये जा रहे ऋण पर 4% ब्याज अनुदान की एक सराहनीय योजना प्रस्तावित की है। नाबार्ड द्वारा प्रायोजित BIRD को इस योजना में कृषकों को प्रशिक्षण प्रदान करने हेतु नोडल प्रशिक्षण संस्थान के रूप में नामित किया गया है।

श्री मनोज कुमार सिंह, आई.ए.एस., अपर मुख्य सचिव, संस्थागत वित्त, उत्तर प्रदेश शासन ने अपने सम्बोधन में अपने विभाग से सम्बन्धित निम्न बिन्दुओं को सभा के समक्ष रखा:-

- 1) यू.पी.एस.आर.एल.एम. के अंतर्गत गठित स्वयं सहायता समूहों के बैंकों में खाते खुलने में कठिनाइयाँ सामने आ रही हैं। लगभग 60 हजार ऐसे स्वयं सहायता समूह हैं जिन्हें विभाग द्वारा Revolving Fund या Community Fund हस्तांतरित किया जा सकता है परंतु इन समूहों के बैंक खाने न खुल पाने से यह सम्भव नहीं हो पा रहा है। (कार्यवाही: समस्त बैंक)
- 2) उन्होंने स्वयं सहायता समूहों को कम धनराशि का ऋण स्वीकृत किये जाने पर चिंता व्यक्त करते हुए बताया कि कम वित्त-पोषण के कारण स्वयं सहायता समूहों को आत्मनिर्भर बनने में कठिनाइयों का सामना करना पड़ रहा है। साथ ही साथ उन्होंने समस्त बैंकों से आग्रह किया कि स्वयं सहायता समूहों को वित्तीय सेवायें विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार तथा भारतीय रिज़र्व बैंक के दिशा-निर्देशों के अनुरूप वित्त पोषित करने का कष्ट करें। (कार्यवाही: समस्त बैंक)



सभी गणमान्य अतिथियों के सम्बोधन के पश्चात सभा के समक्ष पॉवर प्वाइंट प्रस्तुति दी गयी जिसमें निम्न बिन्दु सामने आए:-

- 1) सभी बैंकों को निर्देशित किया गया कि बैंकों के समामेलन के कारण बैंक शाखाओं तथा ए.टी.एम. स्थानांतरित, समामेलित व बन्द करने की प्रक्रिया भारतीय रिज़र्व बैंक के मौजूदा दिशा-निर्देशों के अनुसार जनपद स्तरीय विभिन्न फोरम यथा डी.सी.सी., डी.एल.आर.सी. आदि पर आवश्यक कार्यवाही पूर्ण करते हुए सुनिश्चित की जानी चाहिए।
- 2) समस्त बैंकों द्वारा प्रदेश में कार्यरत अपने समस्त निष्क्रिय बैंक मित्रों को सक्रिय करने की प्रक्रिया को निरंतर गति देते हुए पूर्ण किया जाए।
- 3) बैंकों हेतु कोऑरिजिनेशन योजना के विषय पर चर्चा करते हुए कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा द्वारा अवगत कराया गया कि भारतीय रिज़र्व बैंक के नवीन दिशा-निर्देशों के अनुसार योजनांतर्गत कार्य गतिशील है तथा भविष्य में यह योजना निश्चय ही बैंकों, एन.बी.एफ.सी. व आम जन हेतु लाभदायी सिद्ध होगी।

श्री सुरेश कुमार खन्ना, माननीय वित्त मंत्री, उत्तर प्रदेश सरकार ने सभा में मौजूद प्रदेश सरकार एवं बैंको के वरिष्ठ अधिकारीगण, एवं वीडियो कान्फ्रेंस के माध्यम से बैठक में प्रतिभाग कर रहे संयुक्त सचिव, वित्त मंत्रालय, भारतीय रिज़र्व बैंक, नाबार्ड को समीक्षा बैठक में निम्नवत सम्बोधित किया:

- उन्होंने अवगत कराया कि माननीय प्रधानमंत्री जी के देश की अर्थव्यवस्था को 5 ट्रिलियन तक पहुँचाने हेतु माननीय मुख्यमंत्री, उ.प्र. ने प्रदेश की अर्थव्यवस्था को 1 ट्रिलियन US \$ का लक्ष्य निर्धारित किया है जिसके लिए बैंकिंग सिस्टम एक मजबूत कड़ी है जिसके माध्यम से लक्ष्य को हासिल किया जा सकता है। कोविड-19 महामारी के कारण गरीब तबके को हुई आर्थिक क्षति से बाहर निकालने के लिए केन्द्र व राज्य सरकार द्वारा विभिन्न प्रकार के उपाय किये जा रहे हैं। इसी क्रम में पंजीकृत रेहड़ी पटरी दुकानदारों को आर्थिक सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से प्रधानमंत्री स्वनिधि योजना चलायी जा रही है। इस योजना में अब तक की हुई प्रगति पर संतोष व्यक्त करते हुए उन्होंने समस्त स्वीकृत आवेदन पत्रों में वितरण की कार्यवाही सुनिश्चित करने का निर्देश बैंकों को दिया।
(कार्यवाही: समस्त बैंक)

- स्वयं सहायता समूह के बचत खातों को खोलने व उनके वित्त पोषण की पत्रावलियों के लम्बित होने पर चिंता व्यक्त करते हुए उन्होंने समस्त लम्बित पत्रावलियों के शीघ्र निस्तारण हेतु बैंकों को निर्देशित किया। साथ ही प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित विभिन्न योजनाओं यथा मुख्यमंत्री युवा स्वरोज्जगार योजना, पं दीनदयाल उपाध्याय स्वरोज्जगार योजना, एक जनपद एक उत्पाद मार्जिन मनी योजना, मुख्यमंत्री ग्रामोद्योग रोज्जगार योजना आदि के अंतर्गत अधिकाधिक आवेदकों को लाभांशित करने तथा लम्बित आवेदन पत्रों का निस्तारण शीघ्र सुनिश्चित करने हेतु सभी बैंकर्स को निर्देश दिये।
(कार्यवाही: समस्त बैंक)

- प्रदेश की अर्थव्यवस्था को सुधारने हेतु प्रदेश सरकार द्वारा संचालित विभिन्न योजनाओं में समग्र रूप से प्रयास किये जाने की आवश्यकता है साथ ही लम्बित समस्त आवेदन पत्रों का शीघ्र निस्तारण करते हुए ऋण स्वीकृति की कार्यवाही पूर्ण की जाये। उन्होंने समस्त बैंको के वरिष्ठ अधिकारीगणों से अनुरोध किया कि सभी योजनाओं के अंतर्गत लम्बित आवेदन पत्रों की पर्याप्त निगरानी करते हुए शत प्रतिशत ऋण स्वीकृत की कार्यवाही की जाये।
(कार्यवाही: समस्त बैंक)

अंत में उन्होंने समीक्षा बैठक में प्रतिभाग करने हेतु सभी सदस्यों को धन्यवाद दिया।

इसके पश्चात कार्यपालक निदेशक, बैंक ऑफ बड़ौदा के अनुरोध के क्रम में बैठक के समस्त सहभागियों द्वारा कोविड-19 महामारी के दौरान बलिदान हुए बैंकर्स को श्रद्धांजली देते हुए 2 मिनट का मौन रखा गया।

बैठक के अंत में श्री बलबीर सिंह लुथरा, उप महाप्रबन्धक, बैंक ऑफ बड़ौदा ने समस्त सदस्यों का धन्यवाद ज्ञापित किया।

